फर्द अहकाम

मूलचन्द बनाम किशनलाल वगै0

प्रार्थना पत्र संख्याः 17/2022

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.01.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस अन्तिम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम सांगावाला, पटवार हल्का कांट, भू–अभिलेख निरीक्षक बिलौंची तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.82 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर उपयोग उपभेग करता आ रहा है तथा उक्त भूमि की पश्चिमी सीमा पर अप्रार्थीगण व अन्य की खातेदारी भूमि खसरा नं 21, 582/21 स्थित है। विवादित सीमा काफी पुरानी है जिस पर पेड पौधे लगे हुये है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.03.2022 को जबरन प्रार्थी के उक्त खसरा नंबर की पश्चिमी सीमा पर ईट पत्थर डालना चालू कर दिया। प्रार्थी द्वारा यह कहा गया कि पुख्ता निर्माण करने से पूर्व सीमा चिन्ह कायम करवा लो जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि हमे कोई सीमा चिन्ह कायम नहीं करवाना हम तो बिना सीमा चिन्ह कायम करवाये ही निर्माण करेगे आपको जो कार्यवाही करनी है वह न्यायालय में करे, हम तो निर्माण कार्य करके रहेगे। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी की पश्चिम सीमा पर अतिक्रमण करते हुये अवैध निर्माण कर प्रार्थी की पश्चिमी सीमा पर अतिक्रमण कर लेगे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वाद स्थाई निषेधाज्ञा से संबधित है एवं प्रार्थीगण की तकासम शुदा भूमि है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 01.04.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक क[illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर [illegible]म हो मूल वाद के हमफिता रहे। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 16:38:32 IST
Reason: SelfAttested